

न्यायालय— कुटुम्ब न्यायालय होशंगाबाद (म.प्र.)

आवश्यक सूचना

क्रमांक-1/स्टेनो/2021

होशंगाबाद दिनांक 04.01.2021

समस्त अधिवक्तागण एवं पक्षकारों को सूचित किया जाता है कि सामान्यतः कोरोना संक्रमण से बचाव नाम पर प्रकरणों में पक्षकार कार्यवाहियों हेतु उपस्थित नहीं हो रहे हैं जबकि माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक ए/3120 जबलपुर दिनांक 11.12.2020 द्वारा दिनांक 14.12.2020 से 09.01.2021 तक के अवधि में धारा-125 से 128 दं.प्र.सं., दत्तक ग्रहण से संबंधित मामलों, 5 वर्ष से अधिक पुराने समस्त प्रकृति के प्रकरणों तथा तात्कालिक प्रकृति के समस्त प्रकरणों में नियमित सीमित भौतिक सुनवाई (Limited Physical Hearing) किया जाने का आदेश दिया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के अनुसरण में उक्त प्रकृति के प्रकरण जिस स्तर पर नियत हैं, उस स्तर पर नियमित, सीमित भौतिक सुनवाई प्रारंभ किया जा चुका है। अतः उक्त प्रकृति के प्रकरणों के पक्षकार एवं अधिवक्तागण अपने साक्षियों सहित नियत दिनांक को आवश्यक रूप से उपस्थित रहें। अन्यथा उक्त प्रकृति के प्रकरणों में उनके विरुद्ध विधि अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी उक्त परिपत्र में दिये गये निर्देश के अनुसरण में यह स्पष्ट किया जाता है कि -

1. पक्षकारों, गवाहों एवं अधिवक्तागण की उपस्थिति न्यायालय के फाईल के आदेश पत्र में दर्ज की जावेगी, किंतु आगामी आदेश तक उनके हस्ताक्षर कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए नहीं लिया जावेगा।
2. शराब, पान, गुटखा, तम्बाकू का सेवन किये हुये व्यक्ति का न्यायालय कक्ष में प्रवेश पूर्णतः वर्जित रहेगा।
3. ऐसा कोई भी पक्षकार, साक्षी एवं अधिवक्ता जिन्हें बुखार या सर्दी-जुकाम जैसे लक्षण हों, उन्हें न्यायालय कक्ष में उपस्थित होने का अनुमति नहीं रहेगा।
4. केवल ऐसे पक्षकार तथा अधिवक्ता ही न्यायालय कक्ष में प्रवेश करेंगे, जिनके मामलें सुनवाई हेतु नियत हों।
5. न्यायालय कक्ष में केवल उन्हीं पक्षकार एवं अधिवक्तागण, जिनके मामलें के सुनवाई हेतु पुकार लगाई हो, वे ही न्यायालय कक्ष में प्रवेश करेंगे अन्य पक्षकार एवं अधिवक्तागण न्यायालय कक्ष के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए अपने प्रकरण में पुकार लगाए जाने तक इंतजार करेंगे।
6. अधिवक्तागण अपने स्वयं के केस का फाईल लेकर आवेंगे, तथा मामले की सुनवाई होने के तुरंत बाद न्यायालय कक्ष से बाहर जावेंगे।

न्यायालीन प्रक्रिया से हितवद्ध सभी व्यक्तियों से कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु उपरोक्तानुसार व्यवस्था में सहयोग देने की अपेक्षा की जाती है।

५

(देव नारायण शुक्ल)

प्रधान न्यायाधीश

कुटुम्ब न्यायालय होशंगाबाद(म.प्र.)

प्रतिलिपि:-

- 1- अध्यक्ष जिला अभिभाषक संघ होशंगाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे अधिवक्तागण को व्हाट्सएप आदि के माध्यम से सूचित करें।
- 2- सिरस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय होशंगाबाद की ओर भेजकर निर्देश है कि परिपत्र की प्रति न्यायालय के वेबसाईड पर अपलोड करें।

५. 1. 21

(देव नारायण शुक्ल)

प्रधान न्यायाधीश

कुटुम्ब न्यायालय होशंगाबाद(म.प्र.)